

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 31.03.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.अनिल कुमार यादव पुत्र लालचन्द्र यादव सा0 करमेल साधु कुटी थाना गौरीबाजार देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त **01.रामनिवास पुत्र स्व0 अकलु राजभर सा0 फतेहपुर (अभयपुर) थाना रुद्रपुर देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. 04 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही -

दिनांक 31.03.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के थानाध्यक्ष मदनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्तगण **01.पवन गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 02.राजू कुमार पुत्र आनन्द कुमार सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 03.महेन्द्र गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 04.सूरज यादव पुत्र रामपरीक्षा यादव सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया** उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **31.03.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना कोतवाली- मु0अ0सं0-185/2021 धारा-147,323,504,336,452,304 भादवि 01-जितेन्द्र पुत्र मुट्टर 02-पारस पुत्र हीरा 03-राजन पुत्र फेकू 04-मुट्टर पुत्र सुखारी सा0 पिपरा चन्द्रभान थाना कोतवाली, देवरिया। इसी क्रम में

➡ थाना खुखुन्दू- मु0अ0सं0-38/2021 धारा-354,509 भादवि, 7/8 पाक्सो ऐक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट 01-बलिराम सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह सा0 शाहपुर थाना खुखुन्दू, देवरिया।

04-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 31.03.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 49 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

05-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 31.03.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 129 वाहनों से 1,33,500/- रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2021 जनपद देवरिया ।

थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा जिलाबदर एक अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 01 जिंदा कारतूस के साथ उसके गाँव से गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 01.04.2021 को थानाध्यक्ष खुखुन्दू वांछित अभियुक्तो/वारंटियों की गिरफ्तारी व आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शांति व कानून व्यवस्था हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम पतलापुर में गांव के मोड़ पर से जिलाबदर अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ विवेक सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी-पतलापुर थाना-खुखुन्दू जनपद-देवरिया को एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि पप्पू सिंह उर्फ विवेक सिंह उपरोक्त को जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के क्रम में माह नवम्बर में जिलाबदर करते हुए जनपद बलिया में थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा छोड़ा गया था । जिसकी जिलाबदर की समाप्ति दिनांक 07.05.2021 को है, किन्तु उक्त अभियुक्त अपनी जिलाबदर की समाप्ति की अवधी के पूर्व ही जनपद में आ गया ।

पुलिस टीम द्वारा बरामद एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है ।